न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी मालीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–261/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री नन्दराम पिता बनवारीलाल सांगवान जाट निवासी निवासी 53, साकेत कॉलोनी, हिसार (हरियाणा)
2. श्री रोहित कुमार पिता इन्द्रचन्द राठी (महाजन) निवासी 113, गली नम्बर 12 जवाहर नगर हिसार (हरियाणा)

––प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

––विपक्षी।

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री ताराचंद जैन – अधिवक्ता–प्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांकः–19.06.2018

प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम कुंवार तह0 करेडा की आ0न0 661/168 रकबा 5.00 बीघा के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजी पर आने जाने का कदीमी रास्ता सरकारी रास्ता की आराजी नम्बर 166 गै.मु. सडक से होकर बिलानाम आ0न0 168 में से होकर प्रार्थीगण अपनी आ0न0 661/168 में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का एकमात्र उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी की आ0न0 168 में 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षी की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.12.2017 को न्यायालय में पेश की।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई। विपक्षी राजस्थान राज्य को आवाज लगाई गई। विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, एवं तहसीलदार की मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि कार्य के उपकरण लाने ले जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार नन्दराम पिता बनवारीलाल सांगवान जाट निवासी निवासी 58,साकेत कॉलोनी, हिसार (हरियाणा), रोहित कुमार पिता इन्द्रचन्द राठी (महाजन) नि0 113, गली नम्बर 12 जवाहर नगर हिसार (हरियाणा) के नाम आ0न0 661/168 रकबा 5.00बीघा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण खातेदार अपनी उक्त आराजियात में पक्की सडक (भीम से करेडा रोड) आ0नं0168 रकबा 28.14 बीघा बंजड भूमि के उत्तरी छोर से होकर अपनी खातेदारी के उत्तरी पश्चिमी छोर की ओर वर्तमान में आते–जाते है जहां पर मौके पर वर्तमान में कच्चा रास्ता भी चालू है तथा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner

उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थीगण के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आ0न0 168 रकबा 28.14 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि आती है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि के प्रतिकर की राशि कृषि भूमि की डीएलसी रेट की दुगुनी से जो विपक्षी को देय है प्रार्थीगण अदा करने को तैयार हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। ग्राम कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेडा तहसील करेडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ0न0 661/168 रकबा 5.00 बीघा भूमि में आने जाने के लिये विपक्षी की आ0न0 168 रकबा 28.14 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी की खातेदारी हक की आ0न0 168 में से 0.03 बीघा भूमि का रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति संलग्न नक्शा ट्रेश के प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा में भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.03 बीघा भूमि का प्रतिकर कृषि भूमि की डी.एल.सी दर से दोगुणा प्रार्थी से वसूल कर उसे राजकोष में जमा की जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner